न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

1– अपील संख्या 53/2015

छिन्द्रपाल कौर पत्नी खजानसिंह जाति रायसिख निवासी खाटलवाना उपतहसील हिन्दुमलकोट जिला श्रीगंगानगर। — अपीलार्थी

बनाम

1. बचनसिंह पुत्र बख्तावर सिंह जाति रायसिख निवासी पक्की उपतहसील हिन्दुमलकोट जिला श्रीगंगानगर।
2. ज्ञानोबाई पत्नी बन्तासिंह
3. तोतासिंह पुत्र ठाकरसिंह
4. मक्खनसिंह पुत्र कल्याणसिंह
5. बग्गासिंह पुत्र सौदागरसिंह
6. जरनैलसिंह पुत्र खजानसिंह
7. सोमा रानी पत्नी रेशमसिंह
8. छिन्दोबाई पत्नी हंसासिंह
9. शान्तोबाई पत्नी बलवन्तसिंह
10. सुरजीतसिंह पुत्र करतारसिंह
11. रामसिंह पुत्र करतारसिंह

(क्रमांक 2 से 11) जाति रायसिख निवासीगण पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

12. बीरोबाई पत्नी जंगीरसिंह
13. किरमाबाई पुत्री जंगीरसिंह
14. लखासिंह पुत्र कल्याणसिंह

(क्रमांक 12 से 14) कुदरतीवली माता प्रीतोबाई पत्नी जंगीरसिंह

15. मंगलसिंह पुत्र मालासिंह जाति रायसिख निवासी हिन्दुमलकोट तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
16. चरनसिंहपुत्र बग्गासिंह
17. चरनसिंह पुत्र पूर्णसिंह

(क्रमांक 16 व 17) जाति रायसिख निवासी पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। —रेस्पोंडेन्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

2– अपील संख्या 76/2015

मक्खनसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति रायसिख निवासी पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर। —— अपीलार्थी

बनाम

1. बचनसिंह पुत्र बख्तावर सिंह जाति रायसिख निवासी पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर वर्तमान सेतिया कॉलोनी श्रीगंगानगर (बचनसिंह एडवोकेट जिलाधीश कोर्ट परिसर श्रीगंगानगर।
2. ज्ञानोबाई पत्नी बन्तासिंह
3. छिन्द्रपाल कौर पत्नी खजानसिंह
4. तोतासिंह पुत्र ठाकरसिंह
5. बग्गासिंह पुत्र सौदागरसिंह
6. जरनैलसिंह पुत्र खजानसिंह
7. सोमा रानी पत्नी रेशमसिंह
8. छिन्दोबाई पत्नी हंसासिंह
9. शान्तिबाई पत्नी बलवन्तसिंह
10. सुरजीतसिंह पुत्र करतारसिंह
11. रामसिंह पुत्र करतारसिंह

(क्रम 2 से 11) जाति रायसिख निवासी पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

12. वीरोबाई पत्नी जंगीरसिंह
13. किरमाबाई पुत्री जंगीरसिंह प्रीतो बाई पत्नी जंगीर सिंह
14. लखासिंह पुत्र कल्याणसिंह
    जाति जटसिख निवासीगण पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
15. मंगलसिंह पुत्र मालासिंह जाति रायसिख निवासी हिन्दुमलकोट तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
16. चरनसिंहपुत्र बग्गासिंह
17. चरनसिंह पुत्र पूर्णसिंह

(क्रम 16 व 17) जाति रायसिख निवासी पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। —रेस्पोंडेन्ट्स

11/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर
दिनांक 19.05.2015

उपस्थितः–

श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक अपीलार्थी अपील सं. 53/2015

श्री बलराम सुथार अभिभाषक अपीलांट अपील सं. 76/2015

श्री तेजासिंह अभिभाषक रेस्पों. सं. 1

श्री भरतभूषण चराया अभिभाषक रेस्पों. सं. 15

श्री इकबालसिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 11.12.2017

उपरोक्त दोनों अपीलें अपीलार्थीगण द्वारा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 19.05.2015 के विरूद्ध पेश की है जिसके द्वारा वादी/रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत शिविर पक्की में वादी को चक 4 बी बड़ी के मु.न. 41 के कि.न. 7 व 8 में 0.506 है0 भूमि का खातेदार घोषित किया गया है। दोनों ही अपीलें एक ही आदेश के विरूद्ध होने से एवं उभय पक्ष द्वारा एक साथ बहस किये जाने से दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने एक तरफा तौर पर पारित किया गया है। अधी. न्यायालय को दावा एवं जबाव दावा के आधार पर तनकीयात कायम कर उन पर साक्ष्य लेकर निर्णय किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पक्षकारों की उपस्थिति में लोक अदालत में पारित किया गया है एवं वादी

11/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

की खाता में जितनी भूमि थी उसका उसे खातेदार घोषित किया है। अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि नहीं होने से अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील संख्या 76/15 मक्खनसिंह बनाम बचनसिंह आदि व अपील संख्या 53/15 छिन्द्रपालकौर बनाम बचनसिंह अधी.न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के एक ही आदेश दिनांक 19.05.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। जिसमें सहमति के आधार पर दावा बहक रेस्पो. संख्या 1 डिक्री किया गया है जो कानूनी एवं न्यायिक प्रकिया न अपना कर निर्णय किया है। अतः अधी.न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। निर्णय दिनांक 19.05.2015 लोक अदालत शिविर में हुआ जो अधी.न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 16.01.2014 पर दर्शाई सहमति आधारित व रेस्पो./वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आधारित है साथ ही बंटवारा पूर्ण रूपेण राजस्व रेकार्ड अनुसार किया गया है।

अतः अधी.न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की गुंजाइस नहीं होने से दोनों ही अपीले 76/15 व 53/15 खारिज की जाती है। अधी.न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/12/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

डिकी व सीगे अपील
(ओ.41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर
इजलास श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी,

छिन्द्रपाल कौर पत्नी खजानसिंह जाति रायसिख निवासी खाटलवाना उपतहसील हिन्दुमलकोट जिला श्रीगंगानगर। —— अपीलार्थी

बनाम

1. बचनसिंह पुत्र बख्तावर सिंह जाति रायसिख निवासी पक्की उपतहसील हिन्दुमलकोट जिला श्रीगंगानगर।
2. ज्ञानोबाई पत्नी बन्तासिंह
3. तोलासिंह पुत्र ठाकरसिंह
4. मक्खनसिंह पुत्र कल्याणसिंह
5. बग्गासिंह पुत्र सौदागरसिंह
6. जरनैलसिंह पुत्र खजानसिंह
7. सोमा रानी पत्नी रेशमसिंह
8. छिन्दोबाई पत्नी हंसासिंह
9. शान्तोबाई पत्नी बलवन्तसिंह
10. सुरजीतसिंह पुत्र करतारसिंह
11. रामसिंह पुत्र करतारसिंह

(2 से 11) जाति रायसिख निवासीगण पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

12. वीरोबाई पत्नी जंगीरसिंह
13. किरमाबाई पुत्री जंगीरसिंह
14. लखासिंह पुत्र कल्याणसिंह

(12 से 14) कुदरतीवली माता प्रीतोबाई पत्नी जंगीरसिंह

15. मंगलसिंह पुत्र मालासिंह जाति रायसिख निवासी हिन्दुमलकोट तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
16. चरनसिंहपुत्र बग्गासिंह
17. चरनसिंह पुत्र पूर्णसिंह

(16 व 17) जाति रायसिख निवासी पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील संख्या 53/2015 व नाराजगी डिकी अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर निर्णय दिनांक 19.05.2015

11/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 11 माह 12 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट्स व श्री तेजासिंह अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 , श्री भरत भूषण चराया रेस्पों. सं. 15 एवं श्री इकबाल सिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधी. न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग...X....) रूपये...X... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ...X... अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 11.12.2017 को जारी किया गया।

11/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर